(145)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 5(28)नविवि/3/77 जयपुर, दिनांक :- 16/2/02

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

निदेशक,
स्थानीय निकाय विभाग,
राजस्थान जयपुर ।

सचिव,
नगर सुधार न्यास,
.... समस्त

आवक
15-2-02

विषय :- कृषि भूमि पर मास्टर प्लान एवं नगर नियोजन के स्वीकृत मानदण्डों के विपरीत नई-नई कोलोनियों के नियोजित करने के सम्बंध में ।

...

महोदय ,

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13.11.2001 के द्वारा जयपुर शहर सहित प्रदेश के अन्य शहरों/ नगरों में गृह निर्माण सहकारी समितियों/खातेदारों / अन्य व्यक्तियों के द्वारा कृषि भूमि पर मास्टर प्लान एवं नगर नियोजन के स्वीकृत मानदण्डों के विपरीत नई-नई कोलोनियों नियोजित कर भूखण्ड बेचे जाने के मामलों को रोकने/ अंकुश लगाने के लिए निर्देश जारी किये गये थे । किन्तु इसकी पालना न्यास स्तर पर नहीं की जा रही है । ऐसा प्रतीत होता है कि इस परिपत्र में वर्णित निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया गया है, जबकि राज्य सरकार उनकी अक्षरशः अनुपालना चाहती है । अतः पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि परिपत्र में वर्णित निर्देशों की शत-प्रतिशत पालना की जाए एवं जन सामान्य को इसकी जानकारी कराने हेतु इसका भरसक प्रचार प्रसार भी किया जावे । राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.10(1)नविआ/3/2002 दिनांक 1.1.2002 व 15.2.2002 जारी कर निजी क्षेत्र में आवासीय परियोजनाओं/ टाउनशीप विकसित करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये, जिसके अनुरूप नई कालोनियों को विकसित किया जाना है । दिनांक 13.11.2001 के परिपत्र जारी होने से पूर्व कृषि भूमि पर निर्माण, मास्टर प्लान, सेक्टर प्लान की रोड की सीमा में बन गये हैं वहाँ सड़क की चौड़ाई यथा संभव बरकरार रखते हुए बिल्डिंग लाईन का पुनः निर्धारण कर पट्टा जारी कर दिया जावे ।

भवदीय,

16.2.02
शासन उप सचिव

(01)